—:नोटः—

शिव कांवड़ सेवा संघ के पदाधिकारियों द्वारा सदर तहसील दिवस में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को कोरोना महामारी के दृष्टिगत स्वेच्छा से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के सम्बन्ध में दिया ज्ञापन, शिव भक्तों से घर पर रहकर ही आराधना करने की गई अपीलः—

अवगत कराना हैं कि आज दिनांक 17—07—2021 को जिला सहारनपुर शिव कांवड सेवा संघ के पदाधिकारी 1—श्री ललित पोपाली 2—श्री संजय फुटेला 3—श्री रविकान्त धीमान 4—श्री दिनेश राठी द्वारा सदर तहसील दिवस में उपस्थित होकर जिलाधिकारी, सहारनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को लिखित में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होने स्वेच्छा से कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुये कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया हैं तथा अपने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जो शिव कांवड़ सेवा संघ के साथ कांवड़ शिविर से जुडे हुये है, उनके साथ मीटिंग कर ली गई है और सभी इस बात से सहमत है, कि इस वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण शिविरों पर सोशल डिस्टेशिंग का पालन नही हो पायेगा, जिससे महामारी फैलने का खतरा अधिक है। इसीलिये सभी शिविर संचालक कांवड़ शिविर लगाने में अपने आपको असमर्थ महसूस कर रहे हैं और सभी शिविर संचालक अपनी ओर से प्रयास भी कर रहे है कि जो हरियाणा, पंजाब से शिव भक्त आते है, वह इस बार कांवड़ के लिये अपने स्थान से न चले और अपने घरों में ही रहकर भगवान शिव की आराधना करें।

<u>प्रेस नोट दिनांक 17–07–2021</u>

<u>थाना बेहट पुलिस द्वारा सटटे की खाईबाडी करते अभियुक्त को नाजायज चाकू सहित किया गिरफ्तार :–</u>

दिनांक 16–07–2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा ईदगाह के पास आन्नद बाग कस्बा बेहट से अभि0 मुन्तजीर पुत्र अली हसन निवासी मौ0 गाडान कस्बा व थाना बेहट, सहारनपुर को पर्चा सटटा मय 620/रूपये एवं 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 349/21 धारा 13 जी एक्ट व मु0अ0सं0 350/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीड़िया सेल
जनपद सहारनपुर।